

1-7-20 पत्रावली राज केश डूई।

अपील द्वारा सह अपील अर्जेंट
द्वारा 19(1) सूचना के अधिका अधिनियम 2005
के प्रान्त का विवेक विरा कि अपील द्वारा घोषित
सूचना लोक सूचना अधिकारी (L.O.) सेक्टर में
प्रदाय करि जावे।

इस न्यायालय द्वारा जस्टि फॉरफ
448-50
20-5-20 के लोक सूचना अधिकारी के सूचना
उपलब्ध कराने कषका समुचित प्रत्युत्तर उपलब्ध
करने व्यक्त लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी सेक्टर
उप जिला नियुक्त अधिकारी ने जस्टि फॉरफ। दिना/RTI/2020/
469 दिनांक 21-5-2020 के अर्जेंट करामा कि उनके द्वारा
अपी. के सूचना उपलब्ध की जा चुकी है तब अपील
को उपलब्ध करि सूचना के सम्बन्ध में अर्जेंट
पक्ष प्रान्त कराने हेतु लिखा गया। अपील
व्यक्ति से से स्वयं उप. होकर एक प्रस्ताव पत्र
प्रान्त कराने हुए अर्जेंट करामा कि उनके घोषित
सूचना प्राप्त हो चुकी है। अपील में कतिवाही स्थिति
की जावे। एसी स्थिति में अपील के सूचना उपलब्ध
करा दिए जाते हैं कि प्रका. की कतिवाही इस अपील
में अर्जेंट नहीं होने से सह अपील वाली स्थाया
drop की जा रही है।

पत्रावली इस न्यायालय से अर्जेंट
फैसल की जाकर गम्ब. से कम है।

जिला कलेक्टर, पाली

